

मोटा मोटा 3 नंबर 10 पर डे डालें।

Schedule III - Form No 186H.

चालान नं०

C. A. C. Form No. 32A.

(9)

(See S. Rs. 3 & II)

(T. C. Form no IA)

ट्रेजरी सबट्रेजरी

चालान नकद नकद रुपया जो मूकाम

देवरा

के इम्पीरियल में दाखिल किया जाय।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

भेजे जाने वाले भरेगा

महकमें के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा।

किसने दाखिल किया।	नाम या ओहदा) और पता	भेजे जाने वाले रुपये का और हुकम का (भगर से रुपया दाखिल किया जाय कोई हो) पूरा ब्योरा।	रकम। रु० पं०	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी
	माइर खान	37-एन.बी.डी.	268-00	<p>लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी</p> <p>रसीद दे दीजिये</p> <p>रुपया दाखिल करने का हुकम देने वाले बन्सरो का दस्तखत और पूरा ओहदा।</p> <p>सहायक लेखापरीक्षक</p> <p>रसीद दे दीजिये</p> <p>रुपया दाखिल करने का हुकम देने वाले बन्सरो का दस्तखत और पूरा ओहदा।</p>
	देवेन्द्र नाथ	4/7980	50-00	
	लाईन-17	1977-78	/	
	दे. नं. 21	रुपे + 4/4-	/	
	देवरा	जोड़ -	318-00	

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

अफसरो में रुपया। माय नो नुमा डालें डालें डालें डालें

रुपया मिला। ट्रेजरर एकाउन्टेन्ट तारीख 29/7/84 ट्रेजरी अफसर/एजेन्ट

नोट-1 ट्रेजरी में दाखिल किए जाने वाले रुपये की हालत में 500 रुपये से कम की रकम के लिये रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन सविस स्टाफों के लिये हुए नकद धों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए। (एस० आर० 3)। नोट-2 दाखिल किए गए रुपयों को ब्योरा प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। नोट-3 उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में अमानत करने की इजाजत है वहाँ ब का मद वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से जैसी हालत हो बैंक का रोजाना फंड के पाने पर भरा जायगा।